



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 06.04.2026

### ➤ थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा हत्या से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 02.04.2026 को थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मकरंदपुर बंधा जाने वाले मार्ग पर राजाबाबू पुत्र रामलखन वर्मा निवासी ग्राम झखरा थाना सचेण्डी कानपुर नगर की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में मृतक राजाबाबू के पिता रामलखन वर्मा द्वारा दिनांक 03.04.2026 को मु0अ0सं0 133/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में संकलित साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक राजा बाबू उपरोक्त लगभग 02 वर्ष से कोमल पुत्री लालाराम निवासिनी ग्राम दस्तमपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात से बात चीत करता था धीरे धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया । इसी बीच कोमल पुत्री लालाराम उपरोक्त का सागर पुत्र शिवनारायण निवासी ग्राम झखरा थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर के संपर्क हुआ और दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगा । कोमल पुत्री लालाराम उपरोक्त सागर पुत्र शिवनारायण उपरोक्त से शादी करना चाहती थी, परन्तु सागर पुत्र शिवनारायण उपरोक्त ने शादी करने से मना कर दिया था, तो दोनों में संपर्क कम हो गया था । इसके बाद कोमल पुत्री लालाराम उपरोक्त की मृतक राजा बाबू पुत्र रामलखन उपरोक्त से शादी की बात तय हो गई थी । मृतक राजाबाबू पुत्र रामलखन उपरोक्त व कोमल पुत्री लालाराम उपरोक्त की शादी दिनांक 07.05.2026 को होना तय थी । जब इसकी जानकारी सागर पुत्र शिवनारायण उपरोक्त को हुई, तो उसने पुनः कोमल पुत्री लालाराम उपरोक्त से शादी करने की बात रखी, जिस पर कोमल पुत्री लालाराम उपरोक्त राजी हो गई और मृतक राजा बाबू पुत्र रामलखन उपरोक्त को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया । घटना के दिनांक 02.04.2026 को कोमल पुत्री लालाराम उपरोक्त लगातार मृतक राजाबाबू पुत्र रामलखन उपरोक्त से बात करके उसका लोकेशन सागर पुत्र शिवनारायण उपरोक्त को दे रही थी, और सागर पुत्र शिवनारायण उपरोक्त द्वारा अपने साथियों ललित नागर पुत्र रजोल नागर निवासी ग्राम टिकरा थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर व एक बाल अपचारी के साथ मिलकर राजाबाबू पुत्र रामलखन उपरोक्त की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर शव को गेहूँ के खेत में डाल दिया गया।

थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.सागर राजपूत पुत्र शिवनारायण उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम झखरा थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर, 2. कोमल पुत्री लालाराम निवासिनी ग्राम दस्तमपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात, 3. ललित नागर पुत्र रजोल नागर निवासी ग्राम टिकरा थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर, 4. एक बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया, एवं मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2)/3(5)/238(क) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट बढोत्तरी की गयी है। प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. सागर राजपूत पुत्र शिवनारायण उपरोक्त, 2. 01 बाल अपचारी की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अदद चाकू व मृतक राजाबाबू पुत्र रामलखन उपरोक्त का मोबाइल फोन एवं अभियुक्त सागर पुत्र शिवनारायण उपरोक्त द्वारा घटना के समय पहनी गयी टी-शर्ट को बरामद किया गया है व गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण 1. सागर राजपूत पुत्र शिवनारायण उपरोक्त, 2. अभियुक्ता कोमल पुत्री लालाराम उपरोक्त को गिरफ्तार कर व 3. 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लेकर नियमानुसार दिनांक 05.04.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। शेष अभियुक्त ललित नागर पुत्र रजोल नागर उपरोक्त फरार चल रहा था। घटना के क्रम में थाना शिवली पुलिस को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त ललित नागर पुत्र रजोल नागर निवासी ग्राम टिकरा थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर को आज दिनांक 06.04.2026 को थाना क्षेत्र शिवली मैथा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

#### गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. ललित नागर उम्र 24 वर्ष पुत्र रजोल नागर निवासी ग्राम टिकरा थाना बिठूर जनपद कानपुर नगर ।

**बरामदगी का विवरण-**

1. जामा तलाशी में प्राप्त 220/-रुपये ।

**अभियुक्त ललित नागर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 133/2026 धारा 103(1)/61(2)/3(5)/238(क) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात

**गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. हे0का0 479 विजय कुमार
3. हे0का0 229 मोहित
4. म0का0 304 कल्पना